भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2326696
दिनांक : 21.12.2012

पत्र सं0 2–840 / यू0पी0 / एस0ए0जी0 / 2008 / एफ0सी. 1037

सेवा में,

नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक,
वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय : राज्य सलाहाकार समूह की बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा राज्य सलाहाकार समूह की आगामी बैठक का कार्यक्रम जो की दिनांक 28.12.2012 को दोपहर– 2:30 बजे, से मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), लखनऊ की अध्यक्षता में केन्द्रीय भवन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में आहूत की जानी थी, बैठक की तिथि में संशोधन किया जाता है आगामी बैठक दिनांक– 04.01.2013 को दोपहर– 11.00 बजे, से मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), लखनऊ की अध्यक्षता में केन्द्रीय भवन, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ में आहूत की जाएगी। बैठक में सम्मिलित किये गये प्रस्तावों की सूची यथावत् रहेगी जो इस प्रकार है–

कम	प्रस्ताव का नाम	जनपद	क्षेत्रफल (हे0)	पत्रावली संख्या	टिप्पणी
1.	आई0सी0एफ0आर0आई0 मुख्यालय एवं वन प्रबन्ध की स्थापना।	गौतमबुद्ध नगर	25.00	8बी / यू0पी0 / 09 / 116 / 12 एफ0सी0	
2.	जनपद जे0 पी0 नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–24 से हापुड़ मुरादाबाद खण्ड के किमी0 92.800 से 93.200, 99.800 से 99.900, 101.100 से 101.600 एवं 102.360 से 104.700 (गजरौला चौपले) तक बांयी पटरी पर विभिन्न स्थानों पर मार्ग चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्यों हेतु 6.925 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 630 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में	जे0 पी0 नगर	6.925	8बी / यू0पी0 / 06 / 48 / 12 / एफ0सी0	
3.	जनपद ललितपुर के ग्राम–खुरा के आराजी संख्या–63 / 2 रकबा 4.427 हे0 तथा आराजी संख्या– 158 / 2 रकबा 2.902 हे0 कुल 7.329 हे0 आरक्षित वन भूमि में गेनाइट साइज्ड डाइमेन्शनल स्टोन खनन हेतु 30 वर्षों की लीज पर, वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 22 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में	ललितपुर	7.329	8बी / यू0पी0 / 05 / 117 / 11 / एफसी	इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 23.11.2012 द्वारा चाही गयी सूचनाओं की अनुपालना साथ में अवश्य लायें।
4.	जनपद मेरठ में उपशा द्वारा मेरठ– करनाल मार्ग (एस0एच0 82) किमी0 3.6 से 15.00 तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु 0.78 हे0 आरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं 36 वृक्षों के पातन एवं 28.50 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग व 3317 वृक्षों के पातन तथा वृक्षारोपण वर्ष– 2006, 2007 एवं 2009 के 9000 पौधों की क्षति, कुल 29.28 हे0 वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 12353 वृक्षों के पातन की अनुमति।	मेरठ	29.28	8बी / यू.पी / 06 / 109 / 12 / एफ.सी.	इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक– 12.11.12 द्वारा चाही गयी सूचनाओं की अनुपालना साथ में अवश्य लायें।

आपसे अनुरोध है, कि सम्बन्धित प्रस्तावों के प्रयोक्ता अभिकरण सदस्य / अधिकारी एवं सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी आवश्यक अभिलेखों के साथ बैठक में उपस्थित हों। विगत बैठकों में यह पाया गया है कि राज्य सलाहाकार समूह के बैठक के लिए नामांकित अधिकारी बैठक में उपस्थित नही रहते हैं, जबकि मुख्य सचिव महोदय एस0 ए0 जी0 की बैठक हर माह आयोजित करने के लिए अनुरोध किया करते हैं अतः आपसे अनुरोध है कि बैठक के लिए नामांकित अधिकारियों कि उपस्थिति सुनिश्चित करें अन्यथा प्रस्तावित बैठक निरस्त भी की जा सकती है।

भवदीय,

(आई0के0 सिंह चौहान)
मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय)